

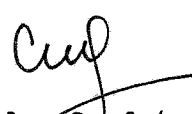
राजस्व आदेश पत्रक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

प्र.क्र. -/अ-62/वर्ष 2024-25

ग्राम - मुंगेली मन-01, तहसील व जिला-मुंगेली (छ.ग.)

पक्षकार :- कमलेश्वर केशरवानी विरुद्ध छ.ग. शासन

(1)	(2)	(3)
<u>23.05.2025</u>	● प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत। ● प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि आवेदक कमलेश्वर केशरवानी पिता निरंजन प्रसाद, जाति बानी, निवासी ग्राम मुंगेली, तहसील व जिला मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा ग्राम मुंगेली मन-01 की भूमि ख.नं. 118/1 रकबा 0.081 पर स्थित 09 नग सागौन तथा 04 नग खम्हार वृक्ष की कटाई की अनुमति संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ● प्रकरण की जाँच हेतु तहसीलदार मुंगेली से करायी गयी। तहसीलदार मुंगेली के द्वारा ग्राम मुंगेली मन-01 स्थित भूमि ख.नं. 118/1 रकबा 0.081 हे पर लगे 09 नग सागौन वृक्ष तथा 04 नग खम्हार वृक्ष सूखने की स्थिति में होना प्रतिवेदित किया गया। ● उपरोक्त तहसीलदार तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर छ.ग.भू-राजस्व संहिता की धारा-240 के तहत ग्राम मुंगेली मन-01 की भूमि ख.नं. 118/1 रकबा 0.081 पर स्थित 09 नग सागौन तथा 04 नग खम्हार वृक्ष की कटाई की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :- ➤ वन विभाग अपनी निगरानी में सुरक्षा के समस्त उपाय सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त वर्णित वृक्ष को नियमानुसार कटवाने की कार्यवाही करेगा। ➤ वन विभाग द्वारा प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। ● उपरोक्त पारित आदेश की प्रति वन मण्डलाधिकारी मुंगेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल की जावे।  अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली, जिला (छ.ग.)	